

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-33/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
सोनिया देवी— विक्रेता
प्रति
श्रीमती निर्मला देवी— क्रेता
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता सोनिया देवी, पति-स्व० राम प्रसाद मांझी एवं पिता-प्रमेश्वर नागवंशी, ग्राम-जनेवा, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती निर्मला देवी, पति-विनोद नागवंशी एवं पिता-गरजू नागवंशी, ग्राम-जनेवा, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को छोटागापुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है।

उक्त आवेदन पत्र पर अधल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अधल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 578/दिनांक 17.11.2022 के द्वारा अधल अधिकारी, भण्डरिया का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के भुईयार (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के भुईयार (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अधल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता सोनिया देवी, पति-स्व० राम प्रसाद मांझी एवं पिता-प्रमेश्वर नागवंशी, ग्राम-जनेवा, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती निर्मला देवी, पति-विनोद नागवंशी एवं पिता-गरजू नागवंशी, ग्राम-जनेवा, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटागापुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	सौहर्दी
जनेवा	143	पुराना-02/73 नया-90	पुराना-264/312 नया-791	0.03	उ०-सुखरामदेवा देवी
		पुराना-02/73 नया-90	पुराना-264/312 नया-792	03.93	द०-जगदीश नाथक.
		पुराना-02/73 नया-90	पुराना-264/312 नया-795	0.32	पू०-विक्रम कर्हार.
		पुराना-02/73 नया-90	पुराना-264/312 नया-796	01.47	प०-दीनु खात्री.
कुल रकबा-				05.75	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अपर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा


अपर समाहर्ता,
गढ़वा



कोषाध्यक्ष

B - 12638


सचिव